भोपाल, दिनांक 27.2.2008

वित्त मंत्री श्री राघवजी ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2008-09 का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2008-09 के प्रस्तुत बजट का संक्षिप्त लेखा एवं वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः-

(राशि करोड़ रुपये में)

	प्राप्तियां	व्यय	घाटा (-)/वृद्धि (अ)
राजस्व खाता	34403.78	31564.00	+ 2839.78
पूंजी व्यय	-	6099.93	- 6099.93
शुद्ध लोक ऋण	8511.71	3836.56	+ 4675.15
ऋण तथा अग्रिम	297.55	1778.40	- 1480.85
लोक लेखा में विशुद्ध प्राप्ति	35698.26	35611.95	+ 86.31
वर्ष का विशुद्ध संव्यवहार	78911.30	78890.84	+ 20.46
प्रारंभिक शेष			-111.89
अंतिम शेष			-91.43

- वर्ष 2008-09 के लिये रुपये 2839.78 करोड़ राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत हुआ है।
- वर्ष 2008-09 का अनुमानित राजकोषीय घाटा रुपये 4741.00 करोड़ होना संभावित है। जिसका जी. एस.डी.पी. से अनुपात 3.00 प्रतिशत है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनुमानित।
- वित्तीय वर्ष 2008-09 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां रुपये 34,403.78 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि रु. 14,214.30 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा रुपये 10,530.74 करोड़, करेतर राजस्व रुपये 3017.70 करोड़ एवं रुपये 6641.04 करोड़ केन्द्र से प्राप्त अनुदान शामिल है।
- वित्तीय वर्ष 2008-09 में वर्ष 2007-08 के राज्य के स्वयं कर राजस्व के बजट अनुमानों से 21.32 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2008-09 में राजस्व व्यय रुपये 31,564.00 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान रु. 26,483.64 से रुपये 5,080.36 करोड़ अधिक है।
- वर्ष 2008-09 का प्रारंभिक शेष रुपये (-) 111.89 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित रुपये (+) 20.46 करोड़ है इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार रुपये (-) 91.43 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2007-08 के बजट आयोजना व्यय रुपये 13,579.28 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2008-09 में कुल आयोजना व्यय रुपये 15,634.74 करोड़ प्रावधानित है। जो गत वर्ष से 15.13 प्रतिशत अधिक है
- आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान रुपये 2589.01 करोड़ से बढ़कर रुपये 3056.37 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2007-08 से 18.05 प्रतिशत अधिक।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान रुपये 1760.55 करोड़ से बढ़कर रुपये 2180.38 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2007-08 से 23.85 प्रतिशत अधिक।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 3 प्रतिशत।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का अनुपात 1.80 प्रतिशत।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से ऋण दायित्व का अनुपात 43.65 प्रतिशत।
- ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 13.05 प्रतिशत।
- केन्द्र सरकार से विभिन्न संस्थाओं को सीधे प्राप्त होने वाली राशि का विवरण प्रथम बार बजट साहित्य के साथ प्रस्तुत।

जेंडर बजट

- महिलाओं की समानता, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य की विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी के लिये 21 विभागों के लिये।

बिजली

- ऊर्जा क्षेत्र के लिये रुपये 1371.47 करोड़ का प्रावधान।
- विद्युत उत्पादन में निजी पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु 22 कंपनियों से समझौता।
- पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु रुपये 1240.91 करोड़ का प्रावधान।

सड़क

- सड़को के निर्माण हेतु आयोजना अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिये रुपये 1656.50 करोड़ का बजट प्रावधान।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत 16089 किलो मीटर लंबाई की 3515 सड़कें पूर्ण।
- मुख्य मार्गों से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिये मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट।
- सड़क रख-रखाव हेतु रुपये 484 करोड़ का प्रावधान।

कृषि

- गेहूं के उचित मूल्य के लिये शासकीय एजेन्सियों द्वारा उपार्जन पर रु. 100 प्रति क्विन्टल बोनस।
- अल्प कालीन कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत।
- पुराने बकाया विद्युत बिलों के भुगतान में 50 प्रतिशत राहत।

- ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई के लिये राज्य अनुदान की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत।
- बलराम तालाब निर्माण की अनुदान सीमा रु. 80 हजार।
- सर्वाधिक उत्पादकता वाली गाय को पुरस्कार।
- नंदी शाला की तर्ज पर बकरों का प्रदाय।
- दुधारू पशुओं के बीमा के लिये राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान।

सिंचाई

- सिंचाई कार्य हेतु कुल रुपये 1815.57 करोड़ का प्रावधान।
- विगत चार वर्ष में 4.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण।

शिक्षा

- पिछड़े 38 जिलों में एक-एक उत्कृष्ट महाविद्यालय की स्थापना।
- 254 कन्या छात्रावासों के भवन निर्माण।
- 448 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन।
- निर्धन मेधावी विद्यार्थियों के लिये मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति।
- मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।
- 12 वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले निर्धन परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिये कोष की स्थापना।
- गरीब छात्रों को 11वी, 12वीं के अध्ययन हेतु 500 रु. प्रतिवर्ष एवं छात्राओं को 550 रु. प्रतिवर्ष सुदामा छात्रवृत्ति।

स्वास्थ्य

- दीन दयाल चलित अस्पताल योजना का अनुसूचित बाहुल्य विकास खण्डों में विस्तार।
- अन्त्योदय उपचार का लाभ अन्य अल्प आय वर्गों को भी।
- 100 सुसज्जित एम्बूलेंस की व्यवस्था।
- ग्रामीण जल प्रदाय के लिये रु. 232.44 करोड़
- नगरीय जल प्रदाय के लिये रु. 90.31 करोड़ का प्रावधान।

पंचायत

- जनपद तथा जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि।
- सदस्यों को मानदेय दिये जाने का निर्णय।

ग्रामीण विकास

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने प्रत्येक परिवार को रियायती दर पर गेहूं रु. 3 प्रतिकिलो तथा चांवल रु. 4.50 प्रतिकिलो की दर से वितरण
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना हेतु रु. 566.88 करोड़ (राज्यांश) का प्रावधान।
- जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का द्वितीय चरण हेतु रु. 100 करोड़।
- ग्रामीण आजीविका योजना रु. 93.23 करोड़।

कर्मचारी कल्याण

- राज्य वेतन आयोग का गठन।
- दिनांक 1.4.2008 से 4 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत।
- वर्ष 2008-09 में भारत सरकार द्वारा जितनी मंहगाई भत्ते/राहत में वृद्धि राज्य द्वारा भी उतनी वृद्धि।
- ग्राम पंचायतों के सचिवों को 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर वेतनमान का लाभ।
- आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत कंपाउंडर तथा महिला कार्यकर्ताओं का संविदा वेतन बढ़कर रु. 3000।
- औषधालय सेवक का वेतन बढ़कर रु. 2500 प्रतिमाह
- अंशकालीन लिपिक पारिश्रमिक रु. 1500 प्रतिमाह
- अंशकालीन भृत्य पारिश्रमिक रु. 1200 प्रतिमाह
- अंशकालीन सफाई कर्मचारी का पारिश्रमिक रु. 500 प्रतिमाह
- भूमिहीन कोटवारों को रु. 2000 प्रतिमाह
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रु. 2000 प्रतिमाह
- आंगनवाड़ी सहायिकाओं को रु. 1000 प्रतिमाह
- स्वयंसेवी होमगार्ड तथा अन्य स्वयंसेवकों को देय मान वेतन तथा भोजन भत्ते में रु. 10-10 प्रतिदिन की वृद्धि।
- ग्राम पंचायत के सचिवों को 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर वेतनमान का लाभ।

****